डैली करंट अफेयर्स
24 घंटे की सबसे बड़ी बातें

अग्नि-4: चार हजार किमी रेंज वाली मिसाइल का परीक्षण

1. भारत ने ओडिशा के चांदीपुर से अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह 4,000 किमी मारक क्षमता वाली मध्यम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु सक्षम मिसाइल है। परीक्षण का संचालन DRDO और सामरिक बल कमान (SFC) ने किया।

2. नीति आयोग के अनुसार, 2050 तक भारत में 34.7 करोड़ बुजुर्ग होंगे। आयोग ने राष्ट्रीय केयर नीति, केयरगिवर रजिस्ट्री, डिजिटल प्लेटफॉर्म, प्रशिक्षण, प्रमाणन और सामाजिक सुरक्षा की सिफारिश की है, ताकि भारत कुशल केयरगिवर्स का वैश्विक केंद्र बन सके।

3. सरकार ने आपत्तिजनक ऑनलाइन सामग्री हटाने की समय-सीमा 24 घंटे से 2 घंटे कर दी है। नए आईटी नियमों के तहत आदेश मिलने के 2 घंटे के भीतर गैर-कानूनी सामग्री हटानी होगी। AI से बनी फोटो और वीडियो पर लेबल लगाना भी अनिवार्य होगा।

4. माइक्रोसॉफ्ट ने हैदराबाद में 'इंडिया साउथ सेंट्रल' क्लाउड रीजन शुरू किया। साथ ही भारत में कंपनी के कुल 4 क्लाउड रीजन हो गए हैं। यह नया क्लाउड रीजन व्यवसायों को सुरक्षित, भरोसेमंद और डेटा नियमों के अनुरूप डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद करेगा।

5. राहुल जैन वाशिंगटन अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक के सलाहकार बने। बलदेव पुरुषार्थ फिलीपींस के एशियाई विकास बैंक में सलाहकार नियुक्त हुए। सत्यजीत मोहंती को कनाडा के मॉन्ट्रियल अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत का प्रतिनिधि बनाया गया है।

6. स्क्वाड्रन लीडर भावना कान्त भारतीय वायुसेना की फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला पायलट बन गई हैं। वह सुखोई-30MKI उड़ाती हैं और 2016 में शामिल पहली तीन महिला फाइटर पायलटों में थीं। कोर्स वायुसेना के 'टॉप गन' स्कूल में होता है।

वर्ड ऑफ द डे

न्यूक्लियर डिटरेंस

- **न्यूक्लियर** डिटरेंस एक सैन्य रणनीति है। इसमें कोई देश परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करता। बल्कि उनके डर से दुश्मन को हमला करने से रोकता है। यानी परमाणु हथियारों का मकसद युद्ध करना नहीं, बल्कि युद्ध टालना और शांति बनाए रखना होता है। यह रणनीति इस सोच पर आधारित है कि परमाणु युद्ध दोनों पक्षों के लिए भारी तबाही ला सकता है। हाल ही में अमेरिका, चीन और रूस के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका छोटे परमाणु हथियारों को भी अपनी डिटरेंस रणनीति में शामिल करने पर विचार कर रहा है।

नॉलेज टेस्ट

Q1. लोकसभा में विपक्ष के नेता का दर्जा पाने के लिए पार्टी के पास कम से कम कितने प्रतिशत सीटें जरूरी है?

[A] 5% **[B]** 10% **[C]** 15% **[D]** 20%

Q2. 73 वर्ष 180 दिन की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतह कर दुनिया की सबसे अधिक उम्र की महिला पर्वतारोही कौन हैं?

[A] जुनको ताबेई (जापान) **[B]** पासांग ल्हामू शेरपा (नेपाल)
[C] तामाए वातानाबे (जापान) **[D]** गेरलिंडे काल्टेनब्रूनर (ऑस्ट्रिया)

उत्तर: 1. 10%, 2. तामाए वातानाबे (जापान)

एमबीए काउंसलिंग : दूसरे राउंड के अलॉटमेंट जारी, रिपोर्टिंग के लिए मिले सिर्फ तीन दिन

भास्कर संवाददाता | इंदौर

प्रदेश के मैनेजमेंट कॉलेजों में प्रवेश के लिए चल रही एमबीए काउंसलिंग के दूसरे राउंड के अलॉटमेंट जारी कर दिए गए हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन (डीटीई) ने छात्रों को अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए 10 अगस्त तक का समय दिया है। इसके बाद जो भी सीटें रिक्त रहेंगी, वे सीधे कॉलेज लेवल काउंसलिंग (सीएलसी) के जरिए ही भरी जाएंगी।

प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेस के बीच सबसे लेट एमबीए की ही एडमिशन प्रक्रिया चल रही है। रिपोर्टिंग के लिए महज तीन दिन का समय मिलने के कारण इस बार खाली सीटों का आंकड़ा और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। पहले राउंड की काउंसलिंग में सिर्फ प्रवेश परीक्षा (सीमैट) के आधार पर ही शामिल होने का मौका दिया गया था, जिसके कारण प्रदेशभर में बमुश्किल 700 सीटें ही अलॉट हो पाई थीं, लेकिन दूसरे राउंड में सीमैट के साथ-साथ अर्हकारी परीक्षा (ग्रेजुएशन) की मेरिट को भी शामिल किया गया, जिसका सीधा असर अलॉटमेंट की संख्या पर दिखा है। इंदौर के कॉलेजों में इस राउंड में 50 फीसदी से अधिक सीटें अलॉट हो चुकी हैं।

किस कोर्स की कब होगी सीएलसी

- **एमबीए :** 12 और 14 अगस्त (सिर्फ 2 राउंड)
- **इंजीनियरिंग :** 7, 11 और 14 अगस्त (3 राउंड)
- **बीआर्क, बीडिजाइन, बीबीए व बीसीए :** 6, 11 और 14 अगस्त (3 राउंड)

जाहिर सूचना सर्वसाधारण को इस जाहिर सूचना पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि मेरी पक्षकारा वित्तीय संस्थान/ बैंक के शाखा प्रबंधक महोदय से प्राप्त प्रतिबोधन एवं निर्देशानुसार सूचित किया जाता है कि प्रस्तावित ऋणीगण 1. श्री शशि प्रकाश पिता स्व. श्री चुन्नीलाल जी जोशी 2. श्रीमती उषा जोशी पति श्री शशिकांत जी जोशी निवासीगण सेठ जी का बाजार, रतलाम म.प्र. द्वारा उनके स्वामित्व एवं आधिपत्य का मकान जो शहर रतलाम तह. व जिला रतलाम म.प्र. मे मोहल्ला सेठ जी का बाजार में मकान म्यु.नंबर 32 पर बना स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1640.86 वर्गफीट है। जिसकी चतुर्सीमा निम्नानुसार है, पूर्व में अन्य का मकान है, पश्चिम में - अन्य का मकान है, उत्तर मे - गली है, दक्षिण मे - ओटला पश्चात् सड़क है। उपरोक्त वर्णित संपत्ति को आधारभुत बताकर प्रस्तावित ऋणीगण द्वारा मेरी पक्षकार वित्तीय संस्था से ऋण सुविधा चाही गई है तथा उक्त संपत्ति सर्वप्रथम प्रस्तावित ऋणी शशि प्रकाश के स्वर्गवासी पिता श्री चुन्नीलाल जी जोशी के नाम पर नगर पालिक निगम रतलाम मे दर्ज था, तथा श्री चुन्नीलाल जी जोशी के छः पुत्र थे, श्री चुन्नीलाल जी जोशी एवं उनकी पत्नि कंचनबाई का देहांत हो जाने के पश्चात् उक्त संपत्ति के छः पुत्र उनके वैध वारीसान होने के नाते स्वामित्व एवं आधिपत्यधारी हुए है तथा उक्त संपत्ति का सभी भाईयो ने आपसी मौखिक हक्त्यागविलेख संपादित कर प्रस्तावित ऋणी श्री शशि प्रकाश पिता स्व. श्री चुन्नीलाल जी जोशी को एकमात्र स्वामी मालिक नियुक्त किया है, तथा प्रस्तावित ऋणी श्री शशि प्रकाश द्वारा उक्त संपत्ति अपने नाम पर नामांतरण भी करवा ली है, तथा उसके पश्चात् श्री शशि प्रकाश पिता स्व. श्री चुन्नीलाल जी जोशी द्वारा उक्त संपत्ति में अपनी पत्नि प्रस्तावित ऋणी श्रीमती उषा जोशी पति श्री शशिकांत जी जोशी को सहस्वामी बनाया गया है, जिसका रजिस्टर्ड सहस्वामी विलेख दस्तावेज क्रमांक MP16IGR18242024A100018529 दिनांक 08/11/2024 है। अतः सर्वसाधारण को इस जाहिर सूचना पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री चुन्नीलाल जी जोशी के छः पुत्र द्वारा किये गये आपसी मौखिक हक्त्यागविलेख को लेकर या उपरोक्त वर्णित संपत्ति के स्वामित्व एवं आधिपत्य के संबंध में आपत्ति हो तो इस जाहिर सूचना पत्र के प्रकाशन से 7 दिवस में मेरे कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेजी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें अन्यथा बाद अवधि मेरे पक्षकार द्वारा उक्त संपत्ति पर बंधक भार कायम कर प्रस्तावित ऋणीगण को ऋण सुविधा प्रदान कर दी जावेगी तद्उपरांत किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति मेरे पक्षकार के हितो के विरूद्ध मान्य नहीं होगी। सो सूचित हो। दिनांक 07.08.2026

राजेश शर्मा (हाईकोर्ट एडवोकेट)
अधिभाषक चेम्बर नम्बर 49, रतलाम मो. 9827239717

युवा • शिक्षा • अवसर

स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम • 18 अगस्त तक भरें फॉर्म; 18 से 30 वर्ष के युवा पात्र, 17 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश शामिल

युवा संगम: 7 दिन की यात्रा में जानें दूसरे राज्यों की संस्कृति-विकास

एजुकेशन डेस्क | नई दिल्ली

देश के युवाओं को दूसरे राज्यों की संस्कृति, रहन-सहन, शिक्षा व्यवस्था और विकास मॉडल को करीब से जानने का मौका मिलेगा। शिक्षा मंत्रालय ने 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' पहल के तहत युवा संगम फेज-7 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू किए हैं। 18 से 30 वर्ष के छात्र, राष्ट्रीय सेवा योजना व माय भारत के स्वयंसेवक, यंग प्रोफेशनल्स और अन्य पात्र युवा 18 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत व्यावहारिक शिक्षा और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।

5 से 7 दिन की होगी रोमांचक यात्रा

चयनित युवाओं को 5 से 7 दिन के लिए दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के शैक्षणिक व सांस्कृतिक भ्रमण पर भेजा जाएगा। यात्रा के दौरान वे वहां की संस्कृति, शिक्षा व्यवस्था, सुशासन, तकनीकी विकास, उद्योग और ऐतिहासिक धरोहरों को करीब से जानेंगे। यात्रा के दिन इसमें शामिल नहीं किए गए हैं।

इस तरह होगा चयन, जानें जरूरी बातें...

1. **ऑनलाइन आवेदन:** पात्र युवा वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं।
2. **स्क्रीनिंग :** आवेदन की जांच संबंधित नोडल संस्थान (IIT, IIM, NIT और केंद्रीय विवि) करेंगे। चयन के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होगा।
3. **चयन के आधार :** ग्रामीण व दूरदराज क्षेत्र के युवाओं, महिला-पुरुष और शैक्षणिक विषयों के प्रतिनिधित्व को प्रेफरेंस मिलेगा।
4. **अंतिम शर्तें :** चयनित का पूरी तरह से मेडिकली फिट होना जरूरी है।

20 संस्थान करेंगे मेजबानी

युवा संगम फेज-7 के लिए देश के 20 प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों (IIT, IIM, NIT और केंद्रीय विश्वविद्यालय) को नोडल संस्थान बनाया गया है। यही संस्थान प्रतिभागियों की मेजबानी करेंगे और पूरे भ्रमण का संचालन करेंगे।

युवा संगम के फेज-7 के तहत कुल 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों (यानी कुल 21 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों) को शामिल किया गया है, जिन्हें आपस में 10 जोड़ियों में विभाजित किया गया है।

वेबसाइट: ebsb.aicte-india.org

सरकारी नौकरी • 1,538 पदों पर भर्ती, 27 अगस्त तक करें आवेदन, ग्रेजुएट्स हैं पात्र

SBI जूनियर एसोसिएट: लोकल लैंग्वेज टेस्ट जरूरी, मेन्स के अंकों के आधार पर होगा चयन

एजुकेशन डेस्क | नई दिल्ली

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने जूनियर एसोसिएट (कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स) के 1,538 पदों पर विशेष भर्ती अभियान शुरू किया है। ऑनलाइन आवेदन 7 से 27 अगस्त तक किए जा सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा सितंबर और मुख्य परीक्षा अक्टूबर या नवंबर में संभावित है।

चयनित उम्मीदवारों को मुंबई जैसे महानगर में भत्तों सहित लगभग 46,000 रुपए मासिक शुरुआती वेतन मिलेगा। स्नातक अभ्यर्थियों को दो एडवांस इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा, जिससे शुरुआती बेसिक पे 26,730 रुपए होगी। इसके अलावा डीए, पीएफ, पेंशन और अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। आवेदन शुल्क 850 रुपए है। एससी, एसटी और अन्य को शुल्क से छूट है।

वेबसाइट: sbi.bank.in

चयन प्रक्रिया तीन चरणों में होगी

1. **प्रारंभिक परीक्षा (प्रीलिम्स) :** यह 100 अंकों की ऑनलाइन परीक्षा होगी। इसमें 1 घंटे का समय मिलेगा। अंग्रेजी (30 प्रश्न), न्यूमेरिकल एबिलिटी (35 प्रश्न) और रीजनिंग एबिलिटी (35 प्रश्न) से कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक सेक्शन के लिए 20 मिनट का समय होगा। हर गलत उत्तर पर 1/4 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी।
2. **मुख्य परीक्षा (मेन्स) :** प्रीलिम्स में सफल अभ्यर्थियों को 200 अंकों की मुख्य परीक्षा देनी होगी। इसके लिए 2 घंटे 40 मिनट का समय मिलेगा। परीक्षा में जनरल/फाइनेंशियल अवेयरनेस (50 अंक), जनरल इंग्लिश (40 अंक), क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड (50 अंक) तथा रीजनिंग व कंप्यूटर एप्टीट्यूड (60 अंक) शामिल होंगे।
3. **लोकल लैंग्वेज टेस्ट :** जिन अभ्यर्थियों ने 10वीं या 12वीं में संबंधित राज्य की स्थानीय भाषा नहीं पढ़ी है, उन्हें लोकल लैंग्वेज टेस्ट (LLPT) पास करना होगा। इसमें असफल होने पर नियुक्ति नहीं मिलेगी। वहीं, अंतिम मेरिट मुख्य परीक्षा के अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।

भर्ती के लिए योग्यता और आयु सीमा इस प्रकार है

- **शैक्षणिक योग्यता:** किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यूजी वाले पात्र हैं। अंतिम वर्ष के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते 31 दिसंबर 2026 तक डिग्री का प्रमाण प्रस्तुत करें।
- **आयु सीमा (1 अप्रैल 2026 के अनुसार):** 20 से 28 वर्ष (जन्म 2 अप्रैल 1998 से 1 अप्रैल 2006 के बीच)। SC/ST को 5 वर्ष, OBC को 3 वर्ष तथा PwBD को छूट मिलेगी।
- **स्थानीय भाषा:** संबंधित राज्य की स्थानीय भाषा पढ़ने, लिखने और बोलने का ज्ञान अनिवार्य है। यदि 10वीं या 12वीं में भाषा नहीं पढ़ी है तो चयन के बाद स्थानीय भाषा परीक्षा पास करनी होगी।

जाहिर सूचना

मेरे पक्षकार बालूगीर पिता रतनगीर जी गोस्वामी, निवासी ग्राम सेजावता, तहसील व जिला रतलाम (म.प्र.) की ओर से प्राप्त प्रतिबोधन एवं निर्देशानुसार सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि:- मेरे पक्षकार की संयुक्त नाम से पैतृक कृषि भूमि सर्वे क्रमांक - 87/1 रकबा 2.9800 हेक्टेयर, लगान रूपये 31.84 पैसे की ग्राम सेजावता तहसील व जिला रतलाम (म.प्र.) में स्थित है। जिसकी चर्तु:सीमा उत्तर दिशा में सर्वे नं. 87/2, दक्षिण दिशा में सर्वे नं. 87/1, पूर्व दिशा में - सर्वे नं. 80/4/4, पश्चिम दिशा में- सर्वे नं. 84/1 की कृषि भूमियां स्थित है। मेरे पक्षकार सर्वे क्रं. 87/1 में से रकबा 0.200 हेक्टेयर की कृषि भूमि को विक्रय करना चाहते है। इस कृषि भूमि सर्वे क्रं. 87/1 में से 0.200 हेक्टेयर को विक्रय करने में किसी भी व्यक्ति, आमजन, शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालय, मण्डल निगम इत्यादि की किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो इस जाहिर सूचना के प्रकाशन के सात दिवस की अवधि के अंदर मय असल दस्तावेज के साथ आपत्ति मेरे कार्यालय में लिखित में प्रस्तुत करें अन्यथा बाद अवधि मेरे पक्षकार के द्वारा उक्त कृषि भूमि को विक्रय किये जाने के संबंध में क्रेता के पक्ष में विक्रय विलेख का निष्पादन एवं संपादन करवा दिया जाएगा तथा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति आदि मान्य नहीं होगी। सो सूचित हो। दिनांक-07.08.2026

नवीन कुमावत हाईकोर्ट एडवोकेट
एफ/369, दीनदयाल नगर रतलाम 9993446001 Ghanesh

District and Sessions Court Ratlam MP
In the Court of Anupam Tiwari
Ratlam, Ratlam

SUMMONS FOR SETTLEMENT OF ISSUES
(O.5,R.1,5.)
RCS A/253/2026
KALAWATI Vs PAYAL URF RANI
NEXT DATE : 14-08-2026

To,
SARVASADHARAN
RATLAM (MADHYA PRADESH)

Whereas KALAWATI has instituted a suit against you for you are hereby summoned to appear in this Court in person, or by a pleader duly instructed, and able to answer all material questions relating to the suit, or who shall be accompanied by some persons able to answer all such questions, on the **14-08-2026** at **11:00 o'clock in the forenoon,** to answer the claim; and further you are hereby directed to file on that day a written statement of your defence and to produce on the said day all documents in your possession or power upon which you base your defence or claim for set-off or counter-claim, and where you rely on any other document whether in your possession or power or not, as evidence in support of your defence or claim for set-off or counter-claim, you shall enter such documents in a list to be annexed to the written statement. Take notice that, in default of your appearance on the day before mentioned, the suit will be heard and determined in your absence. Given under my hand and the seal of the Court, this **11-07-2026**

अनुपम तिवारी
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम, (म.प्र.)

Notice. 1. Should you apprehend your witnesses will not attend of their own accord, you can have a summons from this Court to compel the attendance of any witness, and the production of any document that you have a right to call on the witness to produce, on applying to the Court and on depositing the necessary expenses. 2. If you admit the claim, you should pay the money into Court together with the costs of the suit, to avoid execution of the decree, which may be against your person or property, or both. **Visit ecourts.gov.in for updates or download mobile app "eCourts Services" from Android or iOS.** The process is system generated and transmitted in secured manner by authorised user as such physical signature not applied.

Bank of India रिश्तों की जमापूंजी Relationship beyond banking

आस्ति वसूली शाखा, आंचलिक कार्यालय प्लॉट नंबर 9-आरसी, स्कीम नंबर 134, एम. आर-10 इंदौर (म.प्र.) 452010
फोन नम्बर 0731-2445122, 212
Email: arb.indore@bankofindia.bank.in

अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना

ई-नीलामी विक्रय सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन, हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना

आल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना आम लोगों को और विशेष रुप से उधार लेने वाले/जमानतदारों को यह नोटिस दिया जाता है कि निम्न वर्णित सारणी के कॉलम 3 में उल्लिखित अचल संपत्ति जो **प्रतिभूत लेनदार (बैंक ऑफ इंडिया)** के पास गिरवी / प्रभारित है, जिसका सांकेतिक/भौतिक कब्जा प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **''जहां है ,जैसा है और जो कुछ भी है''** के आधार पर निम्नलिखित तालिका के कॉलम 2 में उल्लिखित ऋणी एवं जमानतदारों से बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभूत लेनदार) की निम्नलिखित तालिका के कॉलम 4 में उल्लिखित राशि की वसूली हेतु **दिनांक 25.08.2026** को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य एवं जमा योग्य अग्रिम धनराशि तालिका के कॉलम 6 व 7 में क्रमशः दी गई है।

ई-नीलामी दिनांक 25.08.2026 को प्रातः 11.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक

शाखा का नाम (1)	ऋणी / जमानतदार का नाम (2)	संपत्ती का विवरण व स्वामी का नाम (3)	मांग सूचना 13(2) के तहत मांग नोटिस दिनांक व बकाया राशि (4)	आधिपत्य की दिनांक व प्रकार (5)	आरक्षित राशि (रू.) (6)	ईएमडी (7)
शाखा : एआरबी	1. मैसर्स सुपर स्पीड ऑटो सर्विस **प्रोपराईटर:-** श्री जीशान अली जैदी पिता सैय्यद मंसूर अली, **पता 1:-** सर्वे नं. 208/1, पीएच नंबर 31, खारा खेड़ी, महू रोड, जिला रतलाम मध्य प्रदेश (457001), **पता 2:-** 18 समता नगर, तहसील एवं जिला रतलाम मध्य प्रदेश (457001), **श्री जीशान अली जैदी पिता सैय्यद मंसूर अली (प्रोपराईटर), श्रीमती निशात अली पति सैय्यद मंसूर अली (जमानतदार-बंधककर्ता) और श्री सैय्यद मंसूर अली पिता जफर अली (जमानतदार-बंधककर्ता), सभी का पता:-** 18 समता नगर, तहसील एवं जिला रतलाम मध्य प्रदेश (457001)	आवासीय संपत्ति के समस्त भू भाग व अंश भूमि और भवन, सर्वे नम्बर 325/28, मकान नम्बर, एमयू नम्बर 21/1, 3, 9/13, समता नगर, रतलाम, जिला रतलाम (म. प्र.), **संपत्ति मालिक:** श्रीमती निशात पति श्री सैयद मंसूर अली और श्री सैयद मंसूर अली पिता सैयद जफर अली, क्षेत्रफल 167.44 वर्ग मीटर या 1800 वर्ग फुट। संपत्ति की **चतुर्सीमा** (बिक्री विलेख के अनुसार): **पूर्व:** मकान का निकास और सरकारी सड़क, **पश्चिम:** गली, **उत्तर:** सैयद अय्यूब अली जी का मकान, **दक्षिण:** श्री जावेद हुसैन जी का मकान	17.02.2026 ₹ 84,93,754.00 + ब्याज एवं अन्य खर्च	05.05.2026 सांकेतिक	₹ 70.50 लाख	₹ 7.05 लाख

क्रेता के द्वारा स्टाम्प शुल्क, बिक्री प्रमाण पत्र शुल्क, पंजीकरण शुल्क, टी.डी.एस. सरकार को देय सभी वैधानिक बकाया, कर और दरों और संपत्तियों से संबंधित कोई अन्य खर्च, मौजूदा और भविष्य, दोनों के लिए देय होगा। बिक्री प्रमाण पत्र केवल सफल बोलीदाता के नाम से ही जारी किया जाएगा।

ई-नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाईट **https://baanknet.com** बोलीकर्ता **https://baanknet.com**, नियम व शर्तो की अधिक जानकारी हेतु शैक्षणिक वीडियो के साथ देख सकते है। बोलीकर्ता को पूर्व में ही बोली पंजीयन की सभी औपचारिकताएं पूर्ण करना अनिवार्य है। नीलामी से संबंधित सभी जानकारी ई-नीलामी दिनांक से पहले ही प्राप्त कर लेने की सभी जवाबदारी बोलीकर्ता की रहेगी।

ए. सफल बोलीकर्ता को घोषणा के तुरंत बाद बिक्री मूल्य का 25% (पहले से भुगतान की गई ईएमडी घटाकर) जमा करना होगा।
बी. नीलामी- बिक्री की कार्यवाही में बैंकिंग लेनदेन का समय समाप्त होने के पश्चात, खरीद मूल्य का 25% (पहले से भुगतान की गई ईएमडी घटाकर) अगले कार्य दिवस तक जमा कराना होगा।
सी. बिक्री मूल्य की शेष राशि का भुगतान बिक्री की दिनांक से 15 वें (पंद्रहवें) दिन के भीतर जमा किया जाना होगा।
डी. उपर उल्लिखित अवधि के भीतर भुगतान न करने पर, जमा और बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से बेच दिया जाएगा।
इ. सफल बोलीकर्ता की यह जिम्मेदारी होगी की आयकर अधिनियम की धारा **194-IA** के तहत लागू 1% की दर से टीडीएस जमा करना होगा, यदि इस तरह के प्रतिफल के लिए जमा या भुगतान की गई राशि का योग रु. 50 लाख या अधिक है। टीडीएस को फार्म **26QB** आनलाईन भरकर जमा कराना होगा और टीडीएस सर्टिफिकेट फार्म **16B** में जारी करना होगा। खरीदार को सरकारी खाते मे आयकर जमा करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
एफ. बोली केवल ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत की जाएगी।
जी. प्राधिकृत अधिकारी का उक्त ई-नीलामी को बिना किसी कारण बताए रद्द करने का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।
एच. आरक्षित मूल्य से कम से कम एक वृद्धि राशि जोडने पर ही बोली स्वीकार होगी।

दिनांक : 07.08.2026, स्थान: इन्दौर

प्राधिकृत अधिकारी: बैंक ऑफ इंडिया

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI

आंचलिक कार्यालय- सी-2, क्षिप्रा विहार, नागझिरी, देवास रोड़, उज्जैन फोन : 0734-2513606,
E-Mail- ujjain.ARD@bankofindia.co.in

परिशिष्ट – IV क (नियम 8(6) का परन्तुक देखें)

चल-अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई – नीलामी विक्रय नोटिस।

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का सांकेतिक कब्जा कॉलम (नीचे वर्णित) बैंक ऑफ इंडिया प्रतिभूति लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को ''जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है'' के आधार पर निम्नलिखित उधार लेने वाले प्रत्याभूति-दाता से बकाया राशि (संबद्ध कॉलम में नीचे वर्णित) की वसूली हेतु दिनांक **25.08.2026** (विक्रय की तारीख) को समय प्रातः **11.00** से दोपहर **05.00** बजे तक बेचा जाएगा, जिसका आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि संबंद्ध कॉलम में नीचे वर्णित है :

ई नीलामी दिनांक 25.08.2026, समय : सुबह 11 बजे से 05 बजे तक

क्रं.	ऋणी एवं संपत्ति मालिक/जमानतदार का नाम मांग नोटिस, राशि दिनांक एवं कब्जा दिनांक	बंधक रखी संपत्ति का विवरण एवं संपत्ति के बंधककर्ता के नाम	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि
रतलाम शाखा, जिला रतलाम (म.प्र.) फोन – शाखा प्रमुख : 9425049567, E-Mail- ratlam.ujjain@bankofindia.co.in (IFSC Code - BKID0009480, EMD जमा हेतु खाता क्रं. 948090200000033 Collection Account)				
01	**ऋणी:** मेसर्स एसएमओ फेररो एलायस प्रा. लि. - 01.श्री सैय्यद अख्तर अली पिता श्री वाहिद अली, 02.श्री सैय्यद मुर्तजा अली पिता श्री सैय्यद अख्तर अली, 03. श्री सैय्यद औवेस अली पिता श्री सैय्यद अख्तर अली, **जमानतदार :** 01. श्रीमती फिरोजा बी पति श्री असगर अली 02. श्रीमती अलताफ बी पति श्री मंसूर खान 03. श्री सैय्यद अफसर अली पिता श्री वाहिद अली 04. श्री सैय्यद मोहब्बत अली पिता श्री वाहिद अली 05. श्री सैय्यद मुर्तजा अली पिता श्री सैय्यद अख्तर अली 06. श्री सैय्यद औवेस अली पिता श्री सैय्यद अख्तर अली 07.श्री सैय्यद अख्तर अली पिता श्री वाहिद अली 08. श्रीमती राफिया बी पति श्री सय्यद अख्तर अली। **मांग सूचना राशि :** रू. 1923.13 लाख+ब्याज एवं अन्य खर्च, सरफेसी नोटिस दिनांक : 14.01.2026, सांकेतिक कब्जा दिनांक : 18.03.2026	**प्रत्याभूत अचल संपत्ति 01 -** फ्रीहोल्ड खुली रहवासी डायवर्टेड भूमि जो स्थित है सर्वे नं.214/1, पटवारी हल्का नं. 25 कस्बा रतलाम, **क्षेत्रफल -** 1.930 हेक्टर या 12,000 स्के. मी. **संपत्ति स्वामी :** डायरेक्टर श्री सैय्यद अख्तर अली पिता स्व. श्री वाहिद अली, **चतु:सीमा सर्वे नंबर 214/1- पूर्व में :** सरकारी कांकड़, **पश्चिम में :** सर्वे नं. 211, **उत्तर में :** कांकड एवं सर्वे नं. 213, **दक्षिण में :** सर्वे नं. 214/2, 214/3, 214/4	6.73 करोड़	0.67 करोड़
		प्रत्याभूत अचल संपत्ति 02- फ्रीहोल्ड खुली रहवासी डायवर्टेड भूमि जो स्थित है सर्वे नं. 214/2, 214/3, 214/4, पटवारी हल्का नं. 25 लोकेशन कस्बा, रतलाम, **क्षेत्रफल :** 1.930 हेक्टर, **संपत्ति स्वामी व जमानतदार :** श्री सैय्यद अफसर अली पिता श्री वाहिद अली। **चतु:सीमा सर्वे नंबर 214/2, 214/3, 214/4 - पूर्व में :** सरकारी कांकड़, **पश्चिम में :** सर्वे नं. 211, **उत्तर में :** सर्वे नं. 214/1, **दक्षिण में :** सर्वे नं. 215	6.73 करोड़	0.67 करोड़
		प्रत्याभूत अचल संपत्ति 03 - फ्रीहोल्ड खुली रहवासी डायवर्टेड भूमि जो स्थित है सर्वे नंबर 220/5/1, बायपास रोड़, वार्ड नं. 29, कस्बा, तहसील, जिला रतलाम (म.प्र.) **क्षेत्रफल :** 1.845 हेक्टर या 18450 स्के.मी. **संपत्ति स्वामी :** डायरेक्टर श्री सैय्यद औवेस अली पिता श्री सय्यद अख्तर अली, **चतु:सीमा सर्वे नंबर 220/5/1- पूर्व में :** रोड़, **पश्चिम में :** सर्वे नं. 220/3 व 220/4, **उत्तर में :** रोड़ व सर्वे नं. 218/3, **दक्षिण में :** रोड़ व सर्वे नं. 231/5	9.65 करोड़	0.97 करोड़

ई-नीलामी की शर्ते :- (1) नीलामी बिक्री/बोली केवल ऑनलाइन ईलेक्ट्रॉनिक बोली प्रक्रिया https://baanknet.com वैबसाईट के माध्यम से होगी। (2) बोलीकर्ताओं से निवेदन है कि baanknet पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन नियत तिथि से पूर्व करवा लेवे। (3) नीलामी की तिथि और समय 25.08.2026 सुबह 11 बजे से दोपहर 5.00 बजे तक असीमित 10 मिनीट प्रत्येक ऑटो -एक्सटेंशन के साथ। (4) नीलामी आरक्षित मूल्य पर शुरू होगी। इच्छुक बोलीकर्ता अपने ऑफर रू.50000/- (पचास हजार मात्र) के गुणाकार (multiple) में अपनी राशि बढ़ा सकते हैं। (5) इच्छुक बोलीकर्ता को पोर्टल https://baanknet.com पर अपना नाम पंजीकृत करवाना हैं और अधिक जानकारी हेतु इच्छुक बोलिकर्ता baanknet पर संपर्क करें। (6) इच्छुक बोलीदाताओ को नीलामी की बिक्री प्रक्रिया में भाग लेने से पहले उपरोक्त संपत्ति से संबंधित किसी भी वैधानिक देनदारियों